न्यायालय ज़िलाकलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः देवेन्द्र कुमार,
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0 04/2016 आ0व.अ.1955

राजस्थान सरकार जरिये कन्हैया लाल रैगर, प्रवर्तन अधिकारी लालसोट जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

श्री रामकिशन पुत्र गोरधन मीना निवासी शिवसिंहपुरा तहसील लालसेट जिला दौसा

..अप्रार्थी

उपस्थितः कोई नहीं।

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत 200 लीटर केरोसीन व 440 लीटर डीजल मय ड्रमों को राजसात करने बाबत।

निर्णय दिनांकः 31.01.2025

1. सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी लालसोट ने दिनांक 25.01.2016 को 200 लीटर केरोसीन व 440 लीटर डीजल मय ड्रमों को राजसात करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

2. प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी दौसा का अभिलेख तलब किया गया।

3. पैरोकार सरकार के अनुपस्थित रहने से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को ही बहस मानकर सुनवाई की गई। प्रवर्तन अधिकारी लालसोट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 25.1.2016 को प्रवर्तन अधिकारी लालसोट जिला रसद अधिकारी दौसा के निर्देशानुसार अप्रार्थी रामकिशन पुत्र गोरधन जाति मीना निवासी शिवसिंहपुरा तहसील लालसोट के ग्राम पृथ्वीसिंहपुरा की तन में स्थित पाटोल पोश मकान में केरोसीन व डीजल के अवैध भण्डारण की गुप्त रूप से सूचना मिलने पर पाटोल पोश मकान की जांच की गई जिसमें 03 ड्रम भरे हुए मिले जिनके ढक्कन खोल कर जांच करने पर एक लोहे के ड्रम में 200 लीटर नीले रंग का केरोसीन भरा हुआ पाया गया तथा दूसरे लोहे के ड्रम में 220 लीटर डीजल तथा तीसरे प्लास्टिक के ड्रम में 220 लीटर डीजल भरा हुआ मिला।

4. प्रवर्तन अधिकारी लालसोट ने अप्रार्थी रामकिशन मीना से इस बाबत पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया साथ ही उसके पास उचित मूल्य की दुकान का भी कोई अनुज्ञा पत्र नहीं था ना ही वह किसी स्थान की किसी राशन की दुकान के लिए अधिकृत है जबकि नीले रंग का केरोसीन केवल उचित मूल्य की दुकान पर ही राशन कार्डो के जरिये विक्रय/वितरण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त केरोसीन तेल ड्रम के साथ इतनी ज्यादा मात्रा में डीजल रखना भी संदेहास्पद पाया गया। जिसको जब्त कर सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार श्री रामकिशन पुत्र गोरधन मीना द्वारा केरोसीन तेल भंडारण का कृत्य कर केरोसीन दर नियतन आदेश 1993 व राजस्थान पेट्रोलियम पदार्थ लाईसेन्स आदेश 1990 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। अतः जब्त किये गये 200 लीटर केरोसीन व 440 लीटर डीजल जो संदिग्ध पाया गया है को राजसात फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:46:13 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. अधिवक्ता अप्रार्थी एवं अप्रार्थी को अलग–2 समय में बार–2 आवाज दिलवाई किन्तु अप्रार्थी अथवा उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का अवलोकन किया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रेषित अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दिनांक 25.1.2016 को जिला रसद अधिकारी दौसा के निर्देशों पर प्रवर्तन अधिकारी लालसोट ने अप्रार्थी रामकिशन पुत्र गोरधन जाति मीना निवासी शिवसिंहपुरा तहसील लालसोट के ग्राम पृथ्वीसिंहपुरा की तन में स्थित पाटोल पोश मकान में केरोसीन व डीजल के अवैध भण्डारण की गुप्त रूप से सूचना मिलने पर पाटोल पोश मकान की जांच की के दौरान 03 ड्रम भरे हुए मिले जिनकी जांच करने पर एक लोहे के ड्रम में 200 लीटर नीले रंग का केरोसीन तथा दूसरे लोहे के ड्रम में 220 लीटर डीजल तथा तीसरे प्लास्टिक के ड्रम में 220 लीटर डीजल भरा हुआ मिला। अप्रार्थी के द्वारा बिना किसी विधिक अनुज्ञा पत्र के केरोसीन व डीजल का अवैध भंडारण किया जाना प्रमाणित होता है जो कि केरोसीन दर नियतन आदेश 1993 व राजस्थान पेट्रोलियम पदार्थ लाईसेन्स आदेश 1990 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाता है एवं जब्तशुदा 200 लीटर केरोसीन व 440 लीटर डीजल मय ड्रमों को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. जिला रसद अधिकारी दौसा को आदेश दिया जाता है कि उक्त जब्तशुदा 200 लीटर केरोसीन व 440 लीटर डीजल मय ड्रमों का नियमानुसरर निस्तारण करावें। जिला रसद अधिकारी दौसा का अभिलेख मय निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कब हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांकः 31 जनवरी, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील 30 दिवस के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:46:13 IST
Reason: SelfAttested